प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1126/2025

1 – अश्विनी कुमार अनंत पिता स्वर्गीय श्री आशाराम अनंत, 65 वर्ष, निवासी 34/11 वन बस्ती, पंडरी, रायपुर जिला रायपुर छ.ग.

--- आवेदक

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा, पुलिस थाना–ए सी बी/ई ओ डब्ल्यू, रायपुर, जिला रायपुर छ.ग.

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1159/2025

1 – इकबाल अहमद खान पिता स्वर्गीय श्री एम. आई. खान, 57 वर्ष, निवासी येज़दानी चोल,छत्तीसगढ़ कॉलेज के पास, बायरन बाजार, रायपुर– 492001 छत्तीसगढ़

--- आवेदक (ओं)

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी के द्वारा,पुलिस थाना – भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/ईओडब्ल्यू, रायपुर, छत्तीसगढ़

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1137/2025

1 – जेठू राम मांडवी पिता स्वर्गीय नंदलाल मांडवी 65 वर्ष निवासी मकान नं.1245, भाटपारा चरमा, उत्तर बस्तर, कांनिवासीर जिला–कांनिवासीर (सी. जी.)

--- आवेदक (ओं)

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर, जिला–रायपुर (सी. जी.)

----उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1133/2025

1 – गंभीर सिंह नुरुती पिता दयराम नुरुती 63 वर्ष,निवासी वसुंधरा नगर, सभा रोड बिलासपुर जिला–बिलासपुर (सी. जी.)

--- आवेदक (ओं)

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1134/2025

1 – नितिन कुमार खांडुजा पिता श्री रवींद्र खांडुजा 51 वर्ष निवासी रागुवीर बडी, दुर्गा टेम्पल निवासी पास, बेमेतारा, जिला–बेमेतारा (सी. जी.)

--- आवेदक (ओं)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1186/2025

1 – वेदराम लहारे पिता स्वर्गीय जगतराम लहारे 66 वर्ष, कुशल नगर, बरेजभाठा, सारंगढ़, तहसील–सारंगढ़, जिला सारंगढ़–बिलाईगढ़ सी. जी.

--- आवेदक (ओं)

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.).

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1161/2025

1 – नोहर सिंह ठाकुर पिता श्री गौतम सिंह ठाकुर, 46 वर्ष, प्लॉट संख्या 1, सड़क संख्या 14, आशीष नगर (पश्चिम), रिसाली, नागरिक निवासींद्र, भिलाई, दुर्ग–490006 छत्तीसगढ़

--- आवेदक (ओं)

बनाम

– छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1160/2025

नीतू नोतानी ठाकुर पिता निवासी पीयूष ठाकुर, निवासी मोहन दास नोतानी 46 वर्ष फ्लैट नंबर 10 विंग–3 कैपिटल प्लेस, शंकर नगर रायपुर 492007 छत्तीसगढ़

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1158/2025

दिनकर वासनिक पिता पन्ना लाल वासनिक 43 वर्ष वार्ड संख्या 16 गली संख्या 4 ममता नगर तुलसीपुर राजनंदगांव 491441 छत्तीसगढ़।

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1157/2025

विकास कुमार गोस्वामी पिता श्री विनोद गोस्वामी 45 वर्ष बी–16, निवासीा लाइफ सिटी, बिलासपुर–495001 छत्तीसगढ़

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1156/2025

1 – नवीन प्रताप सिंह तोमर पिता निवासी भगवान सिंह तोमर, 46 वर्ष, सी–34, कृष्णायन कॉलोनी (चुइया), मालगुजारी, बलौदा–बाजार–493332 छत्तीसगढ़

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1155/2025

1 – जनार्दन सिंह कौरव पिता श्री पंचम सिंह वर्मा, आयु 51 वर्ष ,निवासी 08, सृष्टि गार्डन, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर–492006 छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ता)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1154/2025

1 – अरविंद कुमार पाटले पिता श्री नवल सिंह पाटले 50 वर्ष निवासी घर ए–4, सड़क संख्या 06, आशीष नगर (पश्चिम), रिसाली, नागरिक निवासींद्र, भिलाई, दुर्ग–490006 छत्तीसगढ़

--- आवेदक (ओं)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1152/2025

1 – प्रकाश पाल पिता स्वर्गीय श्री सपन कुमार पाल 44 वर्ष सहायक आबकारी आयुक्त, आवास संख्या 169 यूनी होम, भटगाँव, निवासी।रायपुर छत्तीसगढ़

2 – आलेख राम सिदार पिता श्री मुरलीधर सिदार 34 वर्ष सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त, ग्राम कांता हार्डी, निवासी।रायगढ़ छत्तीसगढ़

3 – आशीष कोसम पिता श्री बृजलाल कोसम 50 वर्ष सहायक आबकारी आयुक्त, आवास संख्या 50 हमिंग कोटेरी, कचना, रायपुर निवासी।रायपुर छत्तीसगढ़

4 – राजेश जैसवाल पिता स्वर्गीय श्री हरिप्रसाद जैसवाल 42 वर्ष सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त, निवासी हाउस नं। सी/02, द्वारकापुरी कॉलोनी, बोरसी जिला।दुर्ग छत्तीसगढ़

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1141/2025

1 – अनिमेष नेताम पिता स्वर्गीय डॉ. आनंद नेताम शिवम स्कूल निवासी पास, सत्यम विहार कॉलोनी रायपुर, जिला–रायपुर (सी. वर्ष)

--- आवेदक (ओं)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1140/2025

1 – गरीबपाल सिंह दरदी पिता स्वर्गीय दिलबाग सिंह दरदी पिता 60 वर्ष की आयु 501 संस्कार हाइट्स, जगन्नाथ मंदिर रोड, गायत्री नगर रायपुर, जिला रायपुर, सी. जी.

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1139/2025

1 – विजय केतन शर्मा पिता सी. केतन शर्मा आयु लगभग 48 वर्ष, केतन शर्मा निवास, गली संख्या 02, बपितारा कॉलोनी, भारतीय नगर, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, सी. जी.

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

<u>विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1138/2025</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1 – रामकृष्ण मिश्रा पिता शैलेंद्र मिश्रा 36 वर्ष वार्ड संख्या 09, ब्राह्मणपारा, अंबागढ़ चौकी जिला–मोहला मानपुर अंबागढ़–चौकी (सी. जी.)

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

<u>विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1136/2025</u>

1 – अनंत कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय अखिलेश्वर सिंह निवासी आयु पिता 63 वर्ष एम. आई. जी.–400, पद्मनाभपुर, दुर्ग (सी. जी.)

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1135/2025

1 – लखन लाल ध्रुव पुत्र स्वर्गीय मोती सिंह ध्रुव निवासी आयु पिता 68 वर्ष थी।

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1132/2025

1 – प्रमोद कुमार नेताम, पिता श्यामलाल, आयु 61 वर्ष गाँव छुरी, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (सी. जी.)

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1131/2025

1 – सौरभ बक्शी पिता राजीव बक्शी 41 वर्ष निवासी एम 680, पद्मनाभपुर, दुर्ग जिला सी. जी.

-- –आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

<u>विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1130/2025</u>

2025 का एम. सी. आर. सी. ए. सं. 1130

1 – मंजुश्री कासेर पिता रामचंद्र सारस की आयु लगभग 47 वर्ष प्रियदर्शनी नगर, रायपुर निवासी–रायपुर (सी. जी.)

--- आवेदक (ओं)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला–रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

<u>विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1129/2025</u>

1 – मोहित कुमार जयसवाल पिता रामलाल जयसवाल 47 वर्ष गाँव तथा उसनिवासी बाद–खंडसारा, थाना–बेमेतारा, जिला बेमेतारा, सी. जी.

--- आवेदक (ओं)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला– रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

विविध दाण्डिक प्रकरण अग्रिम सं 1128/2025

1 – सोनल नेताम पति जसवीर सिंह मरावी 34 वर्ष , निवासी गाँव बरिहपाली, पोस्ट बुनिवासील, ब्लॉक बसना जिला महासमुंद छ.ग.

-- –आवेदक (ओं)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य थाना प्रभारी अधिकारी के द्वारा, पुलिस थाना ए. सी. बी./ई. ओ. डब्ल्यू., रायपुर जिला– रायपुर (सी. जी.)

---उत्तरवादी

आवेदक हेतु :		श्री राजीव श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सौरभ साहू, अधिवक्ता, श्री अभिषेक सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री घनश्याम पटेल, अधिवक्ता, श्री गौतम खेत्रपाल, श्री गौरव सिंघल तथा श्री राजेंद्र कुमार पटेल, अधिवक्तागण
उत्तरवादी/राज्य हेतु :		श्री विवेक शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता

(माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा,न्यायाधीश)

पीठ पर आदेश

18/08/2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (इसके बाद 'बीएनएसएस') की धारा 482 के तहत आवेदनों का उपरोक्त समूह आवेदकों द्वारा पुलिस थाना एसीबी/ईओडब्ल्यू, रायपुर, जिला रायपुर (सीजी) में भारतीय दंड

संहिता, 1860 की धारा 420, 467, 468, 471 और 120–बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 12 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत अपराध क्रमांक 04/2024 के संबंध में उनकी गिरफ्तारी की आशंका के चलते दायर किया गया है।

2. वर्तमान मामले में प्रस्तुत तथ्य संक्षेप में यह हैं कि आवेदक क्रमशः उपायुक्त, आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी (सेवानिवृत्त) के पद पर कार्यरत हैं।8.11.2024 को, आवेदकों को क्रमशः राज्य आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जिसे संक्षिप्त रूप में 'ईओडब्ल्यू/एसीबी' कहा जाएगा) से उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज एफआईआर संख्या 04/2024 के संबंध में पूछताछ के लिए नोटिस प्राप्त हुआ था।उक्त नोटिस के अनुपालन में, आवेदक 9.11.2024 को एसीबी के समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें सूचित किया गया कि अपराध संख्या 04/2024 वाली एफआईआर इस आरोप पर दर्ज की गई थी कि फरवरी 2019 से जून 2022 की अवधि में लैंडिंग मूल्य में वृद्धि और डुप्लिकेट होलोग्राम द्वारा विक्रय के बाद सिंडिकेट द्वारा शराब की अवैध विक्रय की गई थी और आवेदकों ने आबकारी अधिकारी होने के नाते, पार्ट–बी शराब की विक्रय से कमीशन प्राप्त किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. एम.सी.आर.सी.ए. संख्या 1126/2025, 1128/2025, 1129/2025, 1130/2025, 1131/2025, 132/2025, 1133/2025, 1134/2025, 1135/2025, 1136/2025, 1137/2025, 1138/2025, 1139/2025, 1140/2025 और 1141/2025 में आवेदकों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव का तर्क है कि आवेदकों को अपराध में झूठा फंसाया गया है और उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है।एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा पूछताछ के दौरान, आवेदकों ने मांगे गए अनुसार जवाब दिया और वर्तमान मामले में, सीआरपीसी की धारा 170 के तहत नोटिस जारी करने के बाद आवेदकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। यह तर्क दिया गया है कि जांच के दौरान, जांच एजेंसी ने आवेदकों को गिरफ्तार करना उचित नहीं समझा और अब आरोप पत्र दायर होने के बाद, नोटिस जारी किए गए हैं।

4. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रीवास्तव का तर्क है कि आवेदकों के विरुद्ध आरोप–पत्र दाखिल करते समय अभियोजन पक्ष ने आरोप–पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि आवेदकों ने अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग किया था और नोटिस जारी होने के बाद, आवेदकों से हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।उन्होंने तर्क दिया कि धारा 170 सीआरपीसी के विचारार्थ प्रभारी अधिकारी पर आरोप–पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं है।उन्होंने **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 1 एससीसी 676** मामले में अपना पक्ष रखा है,जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है:

"हम उच्च न्यायालयों के उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं और उक्त न्यायिक दृष्टिकोण को अपनी प्रमुखता देना चाहते हैं।सीआरपीसी की धारा 170 पर विचार करने पर यह सही ही कहा गया है कि यह प्रभारी अधिकारी पर आरोप पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं डालती है।वास्तव में, हमारे

सामने ऐसे मामले आए हैं, जहां आरोपी ने पूरी जांच में सहयोग किया है, फिर भी आरोप पत्र दाखिल होने पर उसे पेश करने के लिए गैर–जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार करना और उसे अदालत के समक्ष पेश करना अनिवार्य है।हमारा विचार है कि यदि अन्वेषण अधिकारी को विश्वास नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा तो उसे अभिरक्षा में पेश करने की आवश्यकता नहीं है। सीआरपीसी की धारा 170 में प्रयुक्त शब्द "अभिरक्षा" पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा का बोध नहीं कराता, बल्कि इसका तात्पर्य केवल आरोपपत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी द्वारा अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से है।हम ध्यान दें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अन्वेषण के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब आता है जब अभिरक्षा में अन्वेषण आवश्यक हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध होता है या जहाँ गवाहों को प्रभावित करने की संभावना होती है या अभियुक्त फरार हो सकता है।केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए।गिरफ्तार करने हेतु शक्ति के अस्तित्व तथा उसके प्रयोग के औचित्य मध्य अंतर किया जाना चाहिए।4 यदि गिरफ्तारी नियमित की जाती है, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान को अनगिनत नुकसान पहुंचा सकती है।यदि अन्वेषण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा तथा वास्तव में, पूरे अन्वेषण में सहयोग किया है, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने की मजबूरी क्यों होनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक जमानत देने के लिए आवश्यक त्रिविध परीक्षण को पूरा करते हैं जैसा कि सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई, (20220 10 एससीसी 51) के मामले में वर्णित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है क्योंकि यह भारतीय संविधान के पोषित उद्देश्यों में से एक है और इससे वंचित करना केवल कानून के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं हो सकता है तथा यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

43. धारा 170 के दायरे और दायरे पर इस न्यायालय में सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) 1 एससीसी 676:(2022) 1 एससीसी (क्रि)423] में पहले ही विचार किया जा चुका है।यह एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रयोग न्यायालय द्वारा संबंधित एजेंसी द्वारा जाँच पूरी होने के बाद किया जाना है। इसलिए, यह केवल न्यायालय के दृष्टिकोण से एक प्रक्रियात्मक अनुपालन है और इस प्रकार जाँच एजेंसी की भूमिका सीमित है।ऐसे मामले में जहाँ अभियोजन पक्ष को अभियुक्त की अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ धारा 170 के अंतर्गत मामला मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने पर गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि ज़मानत याचिका दायर करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अभियुक्त को केवल आरोप निर्धारित करने और सुनवाई की प्रक्रिया जारी करने के लिए न्यायालय **में भेजा जाता है।यदि न्यायालय का यह मत है कि रिमांड की कोई आवश्यकता नहीं है, तो न्यायालय संहिता की धारा 88 का सहारा ले सकता है तथा मुकदमा शुरू करने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर**

सकता है।बेशक ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ रिमांड की आवश्यकता हो सकती है, केवल ऐसे मामलों में ही अभियुक्त को सुना जाना होगा।इसलिए, ऐसी स्थिति में, अभियुक्तों को एक अवसर दिया जाना चाहिए, यदि न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह विचार है कि रिमांड उचित होगा।हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने उन मामलों पर कुछ नहीं कहा है जिनमें आरोपी व्यक्ति पहले से ही हिरासत में हैं, और जमानत आवेदन पर उसके गुण–दोष के आधार पर निर्णय लिया जाना है।यह कहना पर्याप्त है कि संहिता की धारा 170 के समुचित अनुपालन हेतु जमानत आवेदन दायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

6. उन्होंने तर्क दिया कि आवेदकों का मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **अमन प्रीत सिंह बनाम सीबीआई (2022) 13 एससीसी 764** में पारित निर्णय के अंतर्गत आता है, जिसमें निम्नलिखित निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया हैः

"उक्त कंडिका आपराधिक न्यायालयों को जारी किए गए निर्देशों से संबंधित है तथा हम इसके हिस्से को निम्नानुसार निकालना चाहेंगेः

"26. किसी व्यक्ति की कम गंभीर या ऐसे अपराध या ऐसे अपराधों के लिए गिरफ्तारी, जिनकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बिना जाँच की जा सकती है, किसी भी सभ्य समाज द्वारा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। दंड न्यायालयों के लिए निर्देश:

(i) जब भी पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी या सीबीआई जैसी अन्वेषण एजेंसी जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किए बिना आरोप पत्र दायर करती है और धारा 170, सीआरपीसी में निर्दिष्ट अनुसार आरोपी को अभिरक्षा में पेश नहीं करती है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय जो संज्ञान लेने या आरोपी पर विचारण चलाने के लिए सशक्त है, आरोप पत्र को तुरंत स्वीकार करेगा और धारा 173, सीआरपीसी में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा और इस निर्णय में चर्चा के अनुसार उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग करेगा।ऐतथा मामले में मजिस्ट्रेट या न्यायालय हमेशा समन की प्रक्रिया जारी करेगा न कि गिरफ्तारी का वारंट।

(ii) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट आरोप–पत्र का संज्ञान लेने के चरण सहित किसी भी चरण पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने के विवेक का प्रयोग करता है, तो उसे धारा 87, सीआरपीसी के तहत लिखित रूप में कारणों को दर्ज करना होगा कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है या उसने सम्मन का पालन नहीं किया है या उस पर सम्मन की उचित तामील के सबूत के बावजूद उपस्थित होने से इनकार कर दिया है।

(iii) किसी भी सुनवाई की तारीख पर या यहां तक कि प्रथम दृष्टया व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के लिए आवेदन को अस्वीकार करना समन की तामील के बावजूद गैर–हाजिर होना या फरार होना या समन का पालन न करना नहीं माना जाएगा और ऐसे मामले में न्यायालय गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं करेगा और या तो अभियुक्त को उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है या समन की प्रक्रिया जारी कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iv) न्यायालय किसी जमानतीय अपराध में अभियुक्त के उपस्थित होने पर उसे धारा 436, सीआरपीसी के अनिवार्य प्रावधानों के अनुसार जमानत के साथ या उसके बिना व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करने पर तुरंत रिहा कर देगा।

(v) न्यायालय गैर–जमानती अपराध में अभियुक्त के उपस्थित होने पर, जिसे न तो पुलिस/अन्वेषण एजेंसी द्वारा अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार किया गया है और न ही धारा 170, सीआरपीसी के तहत अभिरक्षा में पेश किया गया है, अभियुक्त को जमानत आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहेगा, यदि अभियुक्त स्वयं आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है और उसे जमानत पर रिहा कर देगा, क्योंकि जांच के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना या हिरासत में पेश नहीं किया जाना, उसे जमानत पर रिहा करने का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त है।कारण सरल है।यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से फरार और स्वतंत्र है और जांच के दौरान उसे गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो उसे अचानक जमानत देने से इनकार करके जेल भेजना, केवल इसलिए कि आरोप–पत्र दायर किया गया है, जमानत देने या अस्वीकार करने के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है।"

7. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी हैं और उनके न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है, साथ ही वे सरकारी कर्मचारी भी हैं।विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है और चूँकि उन्हें अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था, इसलिए आरोप पत्र दाखिल होने के बाद आवेदकों को अभिरक्षा में रखना केवल विचारण–पूर्व दंड के समान होगा।व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे पवित्र अधिकार है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तब तक अंकुश नहीं लगाया जा सकता जब तक कि इसके लिए बाध्यकारी कारण और परिस्थितियाँ न हों।उन्होंने **सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 और भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनाम गुजरात राज्य, (2016) 1 एससीसी 152 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. एम.सी.आर.सी. ए. क्रमांक 1154/2025, 1155/2025, 1156/2025, 1157/2025, 1158/2025, 1159/2025, 1160/2025 और 1161/2025 में आवेदकों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अभिषेक सिन्हा का तर्क है कि आवेदक अपनी गिरफ्तारी की आशंका कर रहे हैं क्योंकि विद्वान विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), रायपुर, जिला रायपुर, सी.जी. के समक्ष सीआरपीसी, 1973 की धारा 173(8) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है और विद्वान विशेष न्यायाधीश ने आवेदकों को 20.08.2025 को उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है।यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों के विरुद्ध आरोपपत्र में लगाए गए आरोप किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा निराधार हैं। वर्तमान आवेदकों से न तो अवैध शराब और न ही उसके बाद उसकी विक्रय से प्राप्त कोई राशि बरामद की गई है, जिससे अभियोजन पक्ष के आरोपों की पुष्टि हो सके और आवेदकों को अभिकथित अपराध से जोड़ सकती है।वे प्रस्तुत करते हैं कि आवेदकों के विरुद्ध आरोप अभी साबित होने बाकी हैं और अभियोजन पक्ष का यह कहना है कि आवेदकों ने पूरी अन्वेषण के दौरान अन्वेषण एजेंसी के साथ विधिवत रूप से भाग लिया और सहयोग किया है, इसलिए उनकी अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें जाँच के दौरान गिरफ्तार नहीं

किया गया था।उन्होंने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आवेदकों के खिलाफ वर्तमान आरोपपत्र में 225 से अधिक साक्षीयों का हवाला दिया है और दस्तावेज बहुत बड़े हैं, जिसके कारण निश्चित रूप से वाद लंबा चलेगा और इसलिए वे वाद के दौरान हिरासत में लिए जाने से सुरक्षा चाहते हैं।आवेदकों के अधिवक्ता का आगे तर्क यह है कि विशेष न्यायाधीश ने आवेदकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के बाद समन जारी किया था और उनकी उपस्थिति के लिए 20.08.2025 को मामला तय किया था।अन्वेषण एजेंसी द्वारा आवेदकों के कब्जे से कोई बेहिसाबी शराब या उसकी विक्रय से प्राप्त कथित राशि बरामद नहीं हुई है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने अन्वेषण में सहयोग किया है और उनके भागने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।अभियोजन एजेंसी ने अन्वेषण के दौरान आवेदकों को गिरफ्तार नहीं किया है और न ही उनकी अभिरक्षा मांगी है और अन्वेषण पूरी होने के बाद आवेदकों को गिरफ्तार किए बिना ही आरोप पत्र दायर कर दिए गए हैं, इसलिए उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है और एकत्र किए गए साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति के हैं और साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है।यह तर्क दिया गया है कि अधिकांश आवेदक सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वे वाद में भाग नहीं लेंगे या अनावश्यक देरी का कारण बनेंगे।इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि अग्रिम ज़मानत देते या अस्वीकार करते समय, एकमात्र विचार दो प्रतिस्पर्धी हितों, अर्थात् अभियुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा और निष्पक्ष अन्वेषण करने की पुलिस की संप्रभु शक्ति, के बीच संतुलन बनाने का होना चाहिए।उन्होंने **अमन प्रीत सिंह बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, एमसीआरसीएसं. 328/2023 दिनांक 31.03.2023 के मामले पर अपना भरोसा जताया है, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया हैः**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"20. यद्यपि, संहिता में "अग्रिम जमानत" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि, इसका अर्थ है "गिरफ्तारी की आशंका में जमानत"।अग्रिम जमानत के लिए अन्वेषण–पूर्व चरण के साथ–साथ अन्वेषण–पश्चात चरण में भी आवेदन किया जा सकता है और विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करने के बाद, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय "अग्रिम जमानत" प्रदान करता है और वह भी इस संबंध में अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद।हालाँकि, अग्रिम ज़मानत देते या अस्वीकार करते समय एकमात्र विचार दो प्रतिस्पर्धी हितों, अर्थात् अभियुक्त की स्वतंत्रता की रक्षा और पुलिस की निष्पक्ष अन्वेषण करने की संप्रभु शक्ति, के बीच संतुलन बनाए रखने का होना चाहिए।सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय का विवेकाधिकार पूर्ण है और विधानमंडल द्वारा इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।जमानत का उद्देश्य अभियुक्त की सुनवाई के दौरान उपस्थिति सुनिश्चित करना है; अन्यथा, उसके उपस्थित न होने पर, जमानतदार उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।"

9. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री सिन्हा ने आगे तर्क दिया है कि **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2018) 3 एससीसी 22** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है किः

4. आत्मनिरीक्षण करते समय, जिन कारकों पर विचार करने की आवश्यकता है, उनमें से एक यह है कि क्या अभियुक्त को जाँच के दौरान उस समय गिरफ्तार किया गया था जब उसके पास साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने या

गवाहों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा अवसर था।यदि अन्वेषण अधिकारी को जाँच के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं लगता है, तो आरोप पत्र दायर होने के बाद उस व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने के लिए एक मजबूत मामला बनाया जाना चाहिए।इसी प्रकार, यह पता लगाना भी महत्वपूर्ण है कि क्या अभियुक्त अन्वेषण अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार जांच में भाग ले रहा था और क्या वह फरार तो नहीं था या अन्वेषण अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर उपस्थित नहीं हो रहा था।निश्चित रूप से, यदि कोई अभियुक्त अन्वेषण अधिकारी से नहीं छुप रहा है या किसी वास्तविक और व्यक्त उत्पीड़न के भय के कारण छुप रहा है, तो यह एक ऐसा कारक होगा जिस पर न्यायाधीश को उचित मामले में विचार करने की आवश्यकता होगी।न्यायाधीश के लिए यह भी विचार करना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त पहली बार अपराधी है या उस पर अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया है और यदि ऐसा है, तो ऐसे अपराधों की प्रकृति और उसका सामान्य आचरण कैसा है।"

10. उन्होंने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 615 मामले का भी हवाला दिया है, जिसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:हम ध्यान दें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है।अन्वेषण के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब आता है जब अभिरक्षा में अन्वेषण आवश्यक हो जाती है या यह एक जघन्य अपराध होता है या जहाँ साक्षी को प्रभावित करने की संभावना होती है या अभियुक्त फरार हो सकता है। केवल इसलिए कि कोई गिरफ्तारी वैध होने के कारण की जा सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी ही चाहिए।गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4 यदि गिरफ्तारी नियमित की जाती है, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म–सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुँच सकती हैयदि अन्वेषण अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या सम्मन की अवहेलना करेगा और वास्तव में, उसने अन्वेषण के दौरान सहयोग किया है, तो हम यह समझने में असफल हैं कि अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की बाध्यता क्यों होनी चाहिए।"

11. सिद्धार्थ (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत का अनुसरणबाद में अमनप्रीत सिंह बनाम भारत गणराज्य विशेष अनुमति याचिका(सीआरएल) संख्या 5234/2021 में किया गया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:"जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है और दं. प्र. सं. कि धारा 170 के तहत सामान्य सिद्धांतों का संबंध है, सबसे उपयुक्त टिप्पणियां उच्च न्यायालय के निर्णय के उप–कंडिका(v) में एक गैर–जमानती अपराध के आरोपी के संदर्भ में हैं, जिसकी जांच की अवधि के दौरान हिरासत की आवश्यकता नहीं थी।ऐसी स्थिति में, यह उचित है कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जांच के दौरान उसे गिरफ्तार न किए जाने या हिरासत में पेश न किए जाने की परिस्थितियां ही उसे जमानत पर रिहा किए जाने का हकदार बनाने के लिए पर्याप्त हैं।तर्क संक्षेप में यह दिया गया है कियदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से जेल में बंद है और उसे जांच के दौरान गिरफ्तार भी नहीं किया गया है, तो सिर्फ आरोप पत्र दाखिल होने के आधार पर

अचानक उसकी गिरफ्तारी और कारावास का निर्देश देना जमानत देने के शासकीय सिद्धांतों के विपरीत होगा। हम इससे अधिक सहमत नहीं हो सके।"

12. उन्होंने आगे तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अग्रिम ज़मानत देने से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए, **सिद्धराम सतलिंगप्पा महेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2011 (1) एससीसी 694 के मामले में विचार के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं, जिनकाविरोध भद्रेश बिपिनभाई शेठ बनामगुजरात राज्य, 2016 (1) एससीसी 152 के मामले में किया गया था और निम्नलिखित टिप्पणी की थी:अग्रिम ज़मानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दो कारकों के बीच संतुलन बनाना होगा: स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण अन्वेषण में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, और अभियुक्त के उत्पीड़न, अपमान और अनुचित अभिरक्षा को रोकना चाहिए;गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए और इसे उन असाधारण मामलों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करना अनिवार्य है।"**

13. अंत में, उन्होंने तर्क दिया कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय नेसौभाग्य भगत बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य(एबीए 76/2021, दिनांक 05.07.2023) मामले में स्पष्ट किया है कि **आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत का आवेदन स्वीकार्य है।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. एम.सी.आर.सी.ए. संख्या 1152/2025 और 1186/2025 में आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम खेत्रपाल का तर्क है कि आवेदक आबकारी अधिकारी हैं और उन्होंने केवल उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का पालन किया है।उन्होंने तर्क दिया कि कथित अपराधों के आवश्यक तत्व आवेदकों के विरुद्ध नहीं हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदकों ने अन्वेषण में सहयोग किया है और आरोप पत्र में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि आवेदकों ने अन्वेषण में सहयोग किया था।यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक सरकारी कर्मचारी हैं और चूँकि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए आवेदकों से अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।उन्होंने सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2022) 1 एससीसी 676 के मामले का उल्लेख किया गया है, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणी की गई है:

"हम उच्च न्यायालयों के उपरोक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं तथा उक्त न्यायिक दृष्टिकोण को अपनी प्रमुखता देना चाहते हैं।सीआरपीसी की धारा 170 पर विचार करने पर यह सही ही कहा गया है कि यह प्रभारी अधिकारी पर आरोप पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने का दायित्व नहीं डालती है। वास्तव में, हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं जहाँ अभियुक्त ने पूरी अन्वेषण में सहयोग किया है, फिर भी आरोप–पत्र दाखिल होने पर उसे पेश करने के लिए गैर–ज़मानती वारंट जारी किए गए हैं, इस आधार पर कि अभियुक्त को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना अनिवार्य है।हमारा विचार है कि यदि अन्वेषण अधिकारी को विश्वास नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा तो उसे अभिरक्षा में पेश करने की आवश्यकता नहीं है।सीआरपीसी की धारा 170 में प्रयुक्त शब्द "अभिरक्षा" पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा का बोध नहीं कराता है, बल्कि इसका तात्पर्य केवल आरोप पत्र दाखिल करते समय अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त

को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से है।हम ध्यान दें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिदेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है।अन्वेषण के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब आता है जब अभिरक्षा में लेकर अन्वेषण करना आवश्यक हो जाता है या यह एक जघन्य अपराध होता है या जहां साक्षी को प्रभावित करने की संभावना होती है या अभियुक्त फरार हो सकता है।केवल इसलिए कि गिरफ्तारी वैध है, यह अनिवार्य नहीं है कि गिरफ्तारी की जानी ही चाहिए।गिरफ्तारी करने की शक्ति के अस्तित्व और उसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए।यदि गिरफ्तारी नियमित हो जाती है, तो इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म–सम्मान को अपूरणीय क्षति हो सकती है।यदि अन्वेषण अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि आरोपी फरार हो जाएगा या सम्मन की अवहेलना करेगा और वास्तव में उसने अन्वेषण के दौरान सहयोग किया है, तो हम यह समझने में असफल हैं कि अधिकारी पर आरोपी को गिरफ्तार करने की बाध्यता क्यों होनी चाहिए।"

15. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक जमानत देने के लिए आवश्यक ट्रिपल टेस्ट को पूरा करते हैं जैसा कि सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई (2022) 10 एससीसी 51 के मामले में वर्णित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया क्योंकि यह भारतीय संविधान की पोषित वस्तुओं में से एक है और इससे वंचित करना केवल कानून के अनुसार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप हो सकता है।उन्होंने अमन प्रीत सिंह (सुप्रा) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर भी भरोसा किया है।अंत में, उन्होंने कहा कि आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है।अन्वेषण चल रही है, 400 से ज़्यादा साक्षीयों को साक्षी के तौर पर पेश किया गया है। अन्वेषण के दौरान आवेदकों को गिरफ़्तार नहीं किया गया था, इसलिए आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी आवेदकों को अभिरक्षा में रखना वाद से पहले की दंड ही होगी।व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे पवित्र अधिकार है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तब तक अंकुश नहीं लगाया जा सकता जब तक कि इसके लिए बाध्यकारी कारण और परिस्थितियाँ न हों।अतः, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय से अग्रिम जमानत के माध्यम से आवेदकों को संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध करते हैं।

16. प्रतिपक्ष, राज्य के विद्वान अधिवक्ता, श्री विवेक शर्मा ने प्रस्तुत किया कि प्रवर्तन निदेशालय से दिनांक 11.07.2023 को संचार प्राप्त करने और उचित सत्यापन के बाद, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 12 और आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120–बी के तहत अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनाया गया था और इसलिए अपराध संख्या 04/2024 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।एफआईआर के अनुसार, राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों, निजी व्यक्तियों और राज्य सरकार के राजनीतिक अधिकारियों से युक्त एक आपराधिक सिंडिकेट राज्य में सक्रिय था, जो महत्वपूर्ण राज्य विभागों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्च स्तरीय प्रबंधन को नियंत्रित करके अवैध रिश्वत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वसूली कर रहा था।यह प्रस्तुत किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक सिंडिकेट द्वारा कुल 3200 करोड़ रुपये की कमाई की गई, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ था।

17. विद्वान राज्य अधिवक्ता का तर्क है कि अपराध दर्ज होने के बाद न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र और चार अनुपूरक आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।चार अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 29.06.2024 को आरोप पत्र 03/2024 तैयार कर दिनांक 01.07.2024 को विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चार अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 26.09.2024 को आरोप पत्र 03(ए)/2024 तैयार कर दिनांक 27.09.2024 को विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।2 आरोपियों और 1 फरार आरोपी के खिलाफ 17.11.2024 को आरोप पत्र 03(बी)/2024 दायर किया गया और 18.11.2024 को विशेष न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।एक आरोपी के खिलाफ पूरक आरोप पत्र संख्या 03(सी)/2025 दिनांक 27.06.2025 दायर किया गया और 30.06.2025 को विशेष न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था।मामले में 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ विशेष न्यायालय के समक्ष 07.07.2025 को पूरक आरोप पत्र 03(डी)/2025 दायर किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. यह प्रस्तुत किया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में शराब की दुकानों का प्रबंधन राज्य आबकारी विभाग द्वारा किया जाता था और जिलों में शराब की दुकानों के नियंत्रण के लिए, विभिन्न जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/उपायुक्त आबकारी को प्रतिनियुक्त किया गया था जो शराब की विक्रय का प्रबंधन करते थे और राज्य में शराब की अवैध विक्रय को नियंत्रित करते थे। वर्तमान मामले में, आवेदक आबकारी विभाग के कर्मचारी हैं और विभिन्न पदों पर तैनात हैं।हालांकि, सिंडिकेट के सह–आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके, अपने विधिक कर्तव्यों का पालन करने के बजाय, उन्होंने डुप्लीकेट होलोग्राम के माध्यम से पार्ट–बी शराब की विक्रय में खुद को शामिल कर लिया और सरकारी दुकानों से रिकॉर्ड के बाहर बेच दिया और एजेंट द्वारा एकत्र की गई राशि सिंडिकेट को सौंप दी गई, जिससे राज्य के खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और इस प्रक्रिया में उन्होंने खुद के लिए भारी वित्तीय लाभ प्राप्त किया।

19. यह भी तर्क दिया गया है कि अन्वेषण के पश्चात्, एसीबी ने 07.07.2025 को 29 आबकारी अधिकारियों के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दायर की है।अंतिम रिपोर्ट में, आरोपियों के खिलाफ आरोपों और एकत्र किए गए साक्ष्य का विवरण है।आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मुख्य आधार यह है कि उन्होंने अन्वेषण में पूर्ण सहयोग किया था और अभियोजन ने अन्वेषण के दौरान आवेदकों को गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए वे अग्रिम ज़मानत के हकदार हैं।इस पर, यह उत्तर दिया गया है कि धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना भी अन्वेषण का हिस्सा है, हालाँकि आवेदकों ने शुरू में जाँच में सहयोग किया था, लेकिन अंतिम रिपोर्ट दाखिल करते समय वे नोटिस प्राप्त करने के बावजूद विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।उन्होंने तर्क दिया कि आवेदकों की उपस्थिति न केवल अन्वेषण के लिए, बल्कि सुचारू विचारण के लिए भी आवश्यक है।हालाँकि, आवेदक विचारण से कोई छूट मांगे बिना विचारण के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे, इसलिए विचारण न्यायालय ने उनकी उपस्थिति हेतु समन जारी किया है तथा मामला 20.08.2025 को

निर्धारित किया गया है।इसलिए वह प्रस्तुत करता है कि आवेदकों की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के योग्य है।

20. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को सुना है तथा अभिलेख पर सामग्री हेतु विधिवत अध्ययन किया है।

21. यह स्वीकृत तथ्य है कि अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण एजेंसी ने आवेदकों को इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया कि उन्होंने अन्वेषण एजेंसी के साथ सहयोग किया है और इसके तहत, उनकी गिरफ्तारी का कोई अवसर नहीं आया।अब जबकि सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है, आवेदकों ने विशेष न्यायालय (पीसी एक्ट) के समक्ष बीएनएसएस की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किए हैं और जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं।अग्रिम जमानत देते समय अपराध की गंभीरता एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।आवेदकों की ओर से दायर आवेदनों के इन समूह में, वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2022–23 तक सिंडिकेट द्वारा कुल 3200 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की गई, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ।आवेदक सिंडिकेट के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तथा राज्य द्वारा संचालित दुकानों से बेहिसाब देशी शराब बेचकर शराब की बिक्री से विभिन्न तरीकों से अवैध धन उगाही में लिप्त थे और प्रत्येक आवेदक को भाग–बी शराब की अवैध विक्रय में 140 रुपये प्रति पेटी का कमीशन दिया गया था, जिसकी अन्वेषण की जा रही है।ऐसी गतिविधियाँ न केवल सार्वजनिक व्यवस्था को कमजोर करती हैं, बल्कि विधि के शासन की जड़ों पर भी प्रहार करती हैं।यह विधि का सबसे महत्वपूर्ण और सुस्थापित सिद्धांत है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 या बीएनएसएस की धारा 482 के तहत प्रदत्त शक्तियाँ असाधारण प्रकृति की हैं, इसलिए इनका प्रयोग केवल मामले की असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए और इनका नियमित रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है।एक ओर, अन्वेषण अभिकरण ने अन्वेषण के दौरान आवेदकों को इस आधार पर गिरफ्तार नहीं किया कि उन्होंने शुरू मेंअन्वेषण में सहयोग किया था और दूसरी ओर, राज्य ने अग्रिम जमानत देने के आवेदनों का जोरदार विरोध किया है, जिसके कारण वह ही बेहतर जानता है। आवेदकों ने अपने मामलों में ऐसा कोई ठोस कारण या असाधारण परिस्थितियाँ प्रदर्शित नहीं कीं, जो अग्रिम जमानत देने के लिए पर्याप्त रूप से "असाधारण" के रूप में योग्य होंगी।परिणामस्वरूप, आवेदक धारा 482 बीएनएसएस के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवश्यक असाधारण परिस्थितियों की उच्च सीमा को पूरा करने में विफल रहे, इसलिए, उनके आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur